न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /10 निगरानी पुन. – 1682 – II /2010

01. श्रीमति मुंन्नीबाई पति श्री ऊँकारलाल
02. राधेश्याम पिता श्री ऊँकारलाल
03. घनश्याम पिता श्री ऊँकारलाल

निवासीगण ग्राम भाटखेड़ी तहसील मनासा जिला निमत

——आवेदकगण

विरूद्ध

01. मोहनबाई विधवा धनराज पाटीदार
02. यशोदाबाई पति श्री प्रहलाद

निवासीगण ग्राम भाटखेड़ी तहसील मनासा जिला निमच

——अनावेदकगण

पुर्नविलोकर अंगर्तत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की और से प्रकरण का स्मरण लेख निम्नानुसार है :–

यह कि, अधिनस्थ न्यायायल अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष विचाराधीन अपील मे अनावेदक की और से एक आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. दिनांकित 24.07.2009 का प्रस्तुत किया जिसमें ऊँकारलाल की मृत्यू 01.06.2008 को हो चुकी है बताया गया है । इसके साथ ही एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 का प्रस्तुत किया गया जिसमे यह निवेदन किया गया कि विचाराधीन अपील अबेट(उपक्षमन) हो चुकी को निरस्त करने के लिए प्रार्थना की गई, इसके साथ ही एक आवेदन पत्र अवधि विधान की धारा 5 के तहत भी प्रस्तुत किया गया । इन तीनों आवेदनों का लिखित में जवाब के साथ साक्ष्य के रूप में व्यवहार न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 1 के बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उस वाद में ऊँकारलाल के वारीसों के संबंध में की गई कारवाई के संबंध में प्रमाणित प्रतिलिपि तथा साक्ष्य के रूप में वर्तमान आवेदक के द्वारा मृत्यू प्रमाण पत्र के रूप में शोक पत्रिका एवं मृत्यू प्रमाण पत्र की फोंटो कॉपी प्रस्तुत की गई एवं अनावेदक के द्वारा दिये गये उक्त आवेदन पत्रों को विरोध करते हुए निरस्त करने का निवेदन किया गया । जिसके संबधं में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.05.2010 को विवादित आदेश पारित किया था जिसमें कही पर भी उन आवेदन पत्रों के संबंध में कोई उल्लेख नही किया कि किस आधार पर धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जा रहा है एवं किस आधार पर आदेश 22 नियम 4 का आवेदन स्वीकार किया जा रहा है एवं किस आधार पर आदेश 22 नियम 9 का [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1682–दो/2010 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–6–2016	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20–9–2010 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 981–एक/2010 में पारित आदेश दिनांक 20–9–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	